दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

अदालत ने आरोपी पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

श्रावस्ती। एक वर्ष से लगातार अपनी पुत्री के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के तहत आरोपी को 51 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। न्यायालय ने नाबालिग बालिका को दो लाख पुनर्वास भत्ता के रूप में देने का आदेश सरकार को दिया है। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र का है। यह घटना करीब डेढ़ वर्ष पुरानी है।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेप एलांग विथ पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद के न्यायालय में शुक्रवार शाम लगभग डेढ़ वर्ष पुराने मामले में फैसला आना था। इस फैसले को सुनने के लिए जितना ही अधिवक्ता उत्सुक थे। उतना ही आम लोग भी। यह मामला एक पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ लगातार एक वर्ष तक लगातार शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने व दुष्कर्म करने का था। इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल सत्येंद्र बहादुर सिंह कर रहे थे।

यह मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। घटना 17 अक्तूबर 2019 की है। जब एक व्यक्ति ने भिनगा कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके मामा अपनी 12 वर्षीय लड़की के साथ लगातार एक वर्ष से शराब के नशे में मारपीट करके जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। लड़की की मां की मौत हो चुकी है। और उसके मामा ने दूसरा विवाह कर लिया है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो मेडिकल रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई।

इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए पिता को अपनी ही नाबालिग लड़की के साथ मारपीट व दष्कर्म का आरोपी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस मामले में नाबालिग के पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये देने को कहा है।

इस मामले में पैरवी करने वाले एक अन्य अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित गुप्ता का कहना है कि पीड़िता को उसकी सौतेली मां अपने घर में रहने नहीं दे रही है। इसी को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने पुनर्वास के लिए आदेश किया है। आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी। ताकि नालसा व सालसा से आर्थिक सहायता मिल सके।